न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र सिंह चौहान, (आर0ए0एस0)

मुकदमा नं0 08 / 2024

1. रामनारायण गौरा पुत्र बोदूराम
2. रामेश्वर लाल गौरा पुत्र बोदूराम

समस्त जाति जाट नि0 बरसीनागा तह0 जोबनेर जिला जयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. अजय गोयल पुत्र शिव कुमार गोयल जाति महाजन नि0 विद्याधर नगर जयपुर जिला जयपुर।
2. तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 व 111 भू0राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. श्री रामावतार सिंह अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. श्री लोकेश कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1.

निर्णय दिनांक :– 11 / 08 / 2024

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0 एक्ट इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण की कब्जो काश्त व खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 148 / 2 रकबा 3.7935 है0 वाके ग्राम बरसीनागा, पटवार हल्का बरसीनागा तह0 जोबनेर जिला जयपुर में स्थित है। जो प्रार्थीगण की सम्पूर्ण खातेदारी आराजी है।

प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त है। आराजी खसरा नंबर 148 / 2 के उत्तर दिशा में अप्रार्थी सं0 1 की आराजी खसरा नं0 148 / 1 रकबा 4.5648 है0 स्थिति है। प्रार्थी को अपनी आराजी को विकसित करने के लिए सीमा ज्ञान की आवश्यकता हुई तो प्रार्थी ने अपनी आराजी का सीमाज्ञान करवाने का प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार जोबनेर को दिया जिनके आदेशानुसार पटवार हल्का द्वारा प्रार्थी के खसरा नंबर 148 / 2 रकबा 3.7935 है0 वाके ग्राम बरसीनागा का सीमाज्ञान दिनांक 03. 06.2022 को किया गया, परन्तु उत्तर दिशा के काश्तकार अप्रार्थी सं0 1 ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। सीमा ज्ञान हो जाने मात्र से प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 अपनी आराजी पर पुख्ता पत्थर नही लगा पाये। प्रार्थी ने उत्तर दिशा के काश्तकार अप्रार्थी सं0 1 को पुख्ता पत्थरगढी हेतु कहा तो दिनांक 02.12.2024 को इंकार हो गये। इसलिए उन्हे पक्षकार कायम किया गया। प्रार्थी को अपने खेत में सुविधाए बढाने हेतु व उसको और अधिक विकसित करने हेतु सीमा पर पुख्ता सरकार पत्थर कायम

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

करवाने की आवश्यकता हुई ताकि वह अपनी आराजी को स्वतंत्र रूप से विकसित कर सके। पत्थरगढी हेतु अन्य पडौसी काश्तकार सहमत रहे। अप्रार्थी सं0 1 सहमत नहीं हुये जिससे यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 1683/1 रकबा 3.5027 हे0 तथा खसरा नं0 148/2 रकबा 3.7935 वाकै ग्राम बस्सीनागा तह0 जोबनेर की सीमा कायम कर उस पर पुख्ता सरकारी पत्थरो से सीमा कायम किये जाने के आदेश तहसीलदार जोबनेर को प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जरिए रजि0एडी0 नोटिस की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 मय अधिवक्ता न्यायालय में हाजिर आए।

अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जवाब इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम बस्सी नागा के आराजी खसरा नं0 148/2 रकबा 3.7935 हे0 किस्म बारानी 2 खातेदार रामनारायण, रामेश्वरलाल पुत्र बोदूराम जाट के नाम दर्ज है। ख0नं0 148/2 के उत्तर दिशा में अप्रार्थी सं0 1 के ख0नं0 148/1 रकबा 4.5048 हे0, खातेदार अजयगोयल पुत्र शिवकुमार गोयल व दक्षिण में ख0नं0 145 रकबा 9.9010 हे0 खातेदार अर्चना देवी पत्नि महावीर व अन्य खातेदार, पूर्व में ख0नं0 150 रकबा 1.9220 खातेदार हरिसिंह पुत्र कल्याण मल व अन्य व ख0नं0 147 रकबा 4.2993 हे0 खातेदार फूलीदेवी पत्नि जोधाराम व अन्य व पश्चिम मे ख0नं0 143/1 रकबा 4.1729 खातेदार कजोड पुत्र मोती व अन्य के नाम है। प्रार्थी की उक्त भूमि का पटवार हल्का द्वारा सीमाज्ञान करवा लिया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी स0 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत ना कर सिर्फ बहस हेतु निवेदन किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजीयात का सीमाज्ञान कराने के पश्चात पत्थरगढी हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए प्रार्थीगण की आराजीयात के पत्थरगढी के आदेश प्रदान करावे। अधिवक्ता अप्रार्थी स0 1 द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि मौके पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है तथा पक्षकारान के मध्य कोई सीमा विवाद नहीं है। दिनांक 02.12.2024 को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खाजिर फरमाया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस पर मनन् किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पटवारी पटवार हल्का बस्सीनागा के की फर्द मौका सीमाज्ञान ग्राम–बस्सीनागा के अनुसार आराजी खसरा नंबर 148/2 रकबा 3.7935 हे0 का सीमाज्ञान दिनांक 03.06.2022 को खातेदार एवं पडौसी खातेदारो की उपस्थिति में 148/1 के उत्तरी पूर्वी कोने को मुस्तकिल बिन्दु मानते हुए चारों

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

सीमाओ पर जरीब चलाकर सीमाज्ञान सभी की मौजूदगी में करवाया गया। प्रार्थीगण आराजी आराजी खसरा नंबर 148/2 रकबा 3.7935 हे0 वाकै ग्राम बस्सीनागा के रिकार्डेड खातेदार होने के कारण स्वयं की आराजी के मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। चुकि पत्थरगढी आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नही होते तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू0राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 व 111 भू0राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नंबर 148/2 रकबा 3.7935 हे0 वाकै ग्राम बस्सीनागा, पटवार हल्का बस्सीनागा, भू0अभि0नि0क्षेत्र कालख तह0 जोबनेर का भूमि सीमा जानकारी के लिये भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार मोमियाशीट/मदर मैप से पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक कालख को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हे मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। नियमानुसार कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें।

अतः भू0अ0नि0 कालख जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को टंकित किया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

देवेन्द्र सिंह चौहान
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर